# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

**पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.**

**प्रार्थना पत्र संख्या :– 41/2017**

श्रीमति सन्तोष देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी जाति जाट निवासी नं. ए 6 हरीनगर, शास्त्री नगर, जयपुर ।

– – –प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र श्री दामोदर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी महापुरा उर्फ कुकरखेडा मुरलीपुरा स्कीम के पास, जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

– – –अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट**

**निर्णय** दिनांक –18.06.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व ग्राम मोठू का बास पटवार हल्का नांगल पुरोहित, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 99/8 रकबा 0.67 हैक्ट0 जिसका सैटलमेन्ट द्वारा हाल खसरा नम्बर 202 बनाये गये है। सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय प्रार्थीगण का पर्चा खतौनी व पर्चा लगान जारी किया गया। उस समय बनाये गये नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की भूमि का रकबा गत जमाबन्दी व गत नक्शे के अनुसार सही था तथा प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त भी उसी नक्शा शीट के अनुसार कर रहा है। लेकिन भूप्रबन्ध द्वारा अन्तिम नक्शा ट्रेस बनाते समय प्रार्थी की उक्त भूमि का नक्शा छोटा कर कम भूमि का नक्शा ट्रेस जारी कर दिया जो हाल व साबिक जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम रकबे का है। हाल खसरा नम्बर 202 रकबा 0.67 हैक्ट0 जमाबन्दी में दर्ज है। जो कि सही है लेकिन नक्शा ट्रेस के अनुसार उक्त भूमि का रकबा 0.56 हैक्ट0 ही है जो कि जमाबन्दी में दर्ज रकबे से 0.11 हैक्ट0 कम दर्ज है तथा भूमि हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 0.31 हैक्ट0 जमाबन्दी में दर्ज रकबे से नक्शा ट्रेस में अधिक रकबे का बता दिया गया है। जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा यह त्रुटि सैटलमेन्ट द्वारा लापरवाही से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु. जयपुर

Scanned by CamScanner

गई है जिसे विधिक रूप से ठीक किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमियों के सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किये गये हाल नक्शा ट्रेस को जमाबन्दी व साबिक नक्शे के अनुरूप दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तलबी की गई। इस कम में अप्रार्थी संख्या 01 के जवाब प्रार्थना पत्र दि. 18.03.2019 के अनुसार प्रार्थी राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे के अनुसार बनाये गये मानचित्र पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग कर रहा है तथा मौके पर किसी भी प्रकार से अधिक भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है बल्कि प्रार्थी अपनी भूमि में पुख्ता बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर बदनियती से अप्रार्थी की उपजाउ व बाउन्ड्रीशुदा भूमि को अपनी भूमि में मिलाना चाहता है। सही एवं वास्तविक रूप से भूमि की नपत करने पर अप्रार्थी की भूमि कम आ रही है जो कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी की भूमि को हड़पना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है एवं ना ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में आता है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतः विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

तहसीलदार आमेर ने कमांक भू0अ0/2018/1751 दिनांक 23.03.2017 के अनुसार ग्राम मोठू का बास के साबिक खसरा नम्बर 99/8 न होकर साबिक खसरा नम्बर 99/9 है तथा मिलान क्षेत्रफल अनुसार 99/9 के हाल खसरा नम्बर 202 रकबा 0.67 बने है जो कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाया गया है। हाल खसरा नम्बर 202 रकबा 0.67 हैक्ट0 का नक्शा रकबे के अनुरूप न होकर छोटा बनाया गया है तथा इसके समीप लगते हुए खसरा नम्बर 219 का नक्शा रकबे से अधिक रकबे का बनाया गया है। इस प्रकार से हाल खसरा नम्बर करीबी नक्शे में 0.11 हैक्ट0 कम बैठता है तथा पड़ौसी खसरा नम्बर 219 में करीब 0.07 हैक्ट0 रकबा अधिक है यानी ख.नं. 219 का जमाबन्दी में दर्ज रकबे से रकवा 0.07 हैक्ट0 अधिक है जो कि नक्शा दुरूस्त होना उचित है। तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में वर्णित रकबे के अनुरूप ही नक्शा बनाया जाना था जो कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से प्रार्थीगण का नक्शा छोटा कर दिया गया एवं अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर में नक्शा बड़ा बना दिया गया। अतः खसरा नम्बर 219 में 0.07 हैक्ट0 का नक्शा कम करके ख.नं. 202 ... को 0.07 हैक्ट0 बड़ा कर दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु. जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया गया। खसरा नम्बर 219 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस में 0.07 हैक्ट0 रकबा अधिक किया गया एवं खसरा नम्बर 202 में रकबा 0.07 कम अंकन किया जाना रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेर को आदेश दिये जाते है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा सहवन से प्रार्थी के नक्शे ट्रेस में मुताबिक तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट एवं नक्शें के अनुसार खसरा नम्बर 202 में 0.07 हैक्ट0 बढाया जावें एवं अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नम्बर 219 के नक्शा ट्रेस में 0.07 हैक्ट0 नक्शा कम किया जावें एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में तदानुसार इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। आदेश सुनाया गया।

आदेश आज दिनांक **18.06.19** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner